—: टिप्पणी एवं आदेश :—

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी, महोदय।

कृपया जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल" उपलब्ध कराने के क्रम में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा 01 नग प्राक्कलन (सम्मिलित 05 नग राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, J/V ईको प्रोटेक्शन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 द्वारा 06 नग प्राक्कलन (सम्मिलित 09 नग राजस्व ग्राम) पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 15.03.2023 की बैठक में नियमानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति/संस्तुति हेतु विचार विमर्श किया गया। फर्मों द्वारा 07 नग प्राक्कलनों (सम्मिलित 14 नग राजस्व ग्राम) की स्वीकृति/संस्तुति के क्रम में 05 करोड़ से कम लागत के प्राक्कलनों को जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत करते हुए एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अस्वीकृत 16 नग प्राक्कलनों एवं नवनिर्मित 03 नग प्राक्कलनों जनसंख्या कम होने, आबादी दूर–दूर होने, नाला कासिंग होने, बोरवेल की गहराई अधिक होने आदि कारणों से इनकी प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत निर्धारित सीमा से अधिक है जिनका विस्तृत विवरण फर्म एवं खण्ड कार्यालय के अभियंताओं द्वारा प्रमाणित है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्तुति प्रदान करते हुए संशोधित 16 नग एवं नवनिर्मित 03 नग प्राक्कलनों की प्रति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित की सूचना एवं प्राक्कलन की प्रति को अधिशासी निदेशक, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जाने वाली बैठक का कार्यवृत्त आलेख पत्रावली में दाहिनी ओर टंकित है, कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

15/03/23

अधिशासी अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
बलरामपुर।

16/3/2023
CDO

जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2023 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में जनपद–बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी– मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0, (J/V) ईको प्रोटेक्शन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, बलरामपुर को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बलरामपुर के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद–बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी– मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, बलरामपुर को प्रस्तुत किये गये 04 ग्राम पंचायतों के 04 नग प्राक्कलन जिसमें 11 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0, (J/V) द्वारा 14 ग्राम पंचायतों के 12 नग प्राक्कलन जिसमें 17 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण हेतु जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2023 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बलरामपुर की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
2. जिला विकास अधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, बलरामपुर।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलरामपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
11. जनपदीय टीम लीडर, मे. सेन्सिस टेक लि, (टी.पी.आई.)।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा प्रेषित 04 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिससे 04 ग्राम पंचायतें/11 राजस्व ग्राम एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0, J/V ईको प्रोटेक्शन इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 द्वारा प्रेषित 12 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिससे 14 ग्राम पंचायतें/17 नग राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। प्राप्त प्राक्कलनों में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के जनपद स्तर पर स्वीकृत होने वाले 01 नग प्राक्कलन जिसमें 01 नग ग्राम पंचायत/05 नग राजस्व ग्राम एवं फर्म मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग के जनपद स्तर पर स्वीकृत होने वाले 10 नग प्राक्कलन जिसमें 12 नग राजस्व ग्राम/14 नग ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। जिसमें 11 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम हैं एवं 05 नग प्राक्कलनों की लागत 5 करोड़ से अधिक है। जिसकी स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/ छिहत्तर–1–2021–25सम /2019 दिनांक 08.07. 2021 के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा 04 नग एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग द्वारा 06 नग प्राक्कलनों में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ.प्र. शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 एवं शासनादेश सं0 के शासनादेश संख्या 53/2021/2774 /छिहत्तर –1–2021–25सम/2019 दिनांक 25.10.2021, में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 तकनीकी परीक्षण हेतु खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। जिसके क्रम में खण्ड कार्यालय द्वारा तंकनीकी परीक्षण किया गया। तकनीकी परीक्षण में प्राक्कलन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन फर्मों से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी। शासनादेश संख्या 51/2021/1883/ छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये निर्देशों के

CS CamScanner

अनुपालन में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल 03 नग प्राक्कलन में से प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से अधिक लागत के प्राक्कलनों का स्थलीय निरीक्षण कराते हुए एवं प्रस्तुत प्राक्कलनों के तकनीकी परीक्षण में परिलक्षित आवश्यक संशोधन फर्म से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

आयोजित बैठक में 16 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर स्वीकृति/संस्तुति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। जिसके उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद स्तर/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति/संस्तुति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये 16 नग प्राक्कलन की ग्राम पंचायत स्तर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बैठक में स्वीकृत/संस्तुति 16 नग प्राक्कलनों को अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर के माध्यम से प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के क्रम में जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग इको प्रोटेक्शन (जे0वी0) को जनपद के कमशः 295 एवं 595 राजस्व ग्रामों में नवीन पेयजल योजनाओं निर्माण हेतु सूचीबद्ध किया गया है। फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा 295 ग्रामों में नवीन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 284 नग राजस्व ग्रामों एवं फर्म मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा 595 ग्रामों के सापेक्ष 581 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृति/संस्तुति उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा पूर्व प्रेषित 09 नग डी0पी0आर0 एवं मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा पूर्व प्रेषित 16 नग डी0पी0आर0 सम्मिलित 20 राजस्व ग्राम एवं वर्तमान प्रेषित 03 नग प्राक्कलन सम्मिलित 06 राजस्व ग्राम में प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक (एकल ग्राम–एकल मजरा = प्रति गृह संयोजन लागत रू0 35000.00, एकल ग्राम–बहुल मजरे = प्रति गृह संयोजन लागत रू0 50000.00 एवं बहुल ग्राम–बहुल मजरे = प्रति गृह संयोजन लागत रू0 65000.00) से अधिक, नलकूप लागत निर्धारित मानक रू0 25.00 लाख अथवा वितरण प्रणाली की लागत रू0 15.00 लाख प्रति किलोमीटर से अधिक होने पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये है तथा निर्देश प्रदान किये गये है कि योजनाओं की विस्तृत सर्वेक्षण करते हुए पुनः संशोधित प्राक्कलन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करायें।

उक्त के अनुकम में राज्य पेयजल एवं स्वचछता मिशन से अस्वीकृत प्राक्कलनों का विस्तृत स्थलीय सर्वेक्षण करते हुए संशोधित प्राक्कलन फर्मो द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये हैं। मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा संशोधित 09 नग प्राक्कलन एवं मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा संशोधित 16 नग एवं नवनिर्मित 03 नग प्राक्कलनों जनसंख्या कम होने, आबादी दूर–दूर होने, नाला कासिंग होने, बोरवेल की गहराई अधिक होने आदि कारणों से इनकी प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत निर्धारित सीमा से अधिक है जिनका विस्तृत विवरण संलग्न डाटाशीट में अंकित है तथा फर्म एवं खण्ड कार्यालय के अभियंताओं द्वारा प्रमाणित है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर को मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा संशोधित 09 नग प्राक्कलन एवं मेसर्स लारसने एण्ड टूब्रो द्वारा संशोधित 16 नग एवं नवनिर्मित 03 नग प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।

सदस्य सचिव द्वारा फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दिनांकः 15.03.2023 तक राज्य स्तरीय प्राक्कलन स्वीकृत समिति से 179 नग प्राक्कलन (सम्मिलित 263 नग राजस्व गांव) की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। फर्म द्वारा 127 नग योजनाओं (सम्मिलित 184 नग राजस्व गांव) के कवर अनुबन्ध निष्पादित कराकर 97 नग योजनाओं पर लगभग 1120 मैन पावर लगाते हुए कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे मात्र औसतन 350 नग गृह संयोजन प्राप्त हो रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के

CS CamScanner

परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि लगभग 2000 मैन पावर लगाते हुए जनपद हेतु निर्धारित एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव द्वारा फर्म मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दिनांक 15.03.2023 तक राज्य स्तरीय प्राक्कलन स्वीकृत समिति से 382 नग प्राक्कलन (सम्मिलित 539 नग राजस्व गांव) की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके सापेक्ष मात्र 248 नग योजनाओं (सम्मिलित 338 नग राजस्व गांव) के कवर अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए 96 नग योजनाओं पर लगभग 750 मैन पावर लगाते हुए कार्य कराये जा रहे हैं, जिससे मात्र औसतन 85 नग गृह संयोजन प्राप्त हो रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मेसर्स दारा इंजीनियरिंग के उप परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि लगभग 3000 मैन पावर लगाते हुए जनपद हेतु निर्धारित एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा दोनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि समस्त स्वीकृत योजनाओं की योजनावार कार्य योजना तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि दोनों फर्मों के कार्यों की धीमी प्रगति, स्वीकृत योजनाओं के कवर अनुबन्ध निष्पादित न कराये जाने तथा समस्त योजनाओं के प्राक्कलन तैयार न किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम/मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में निर्मित की जाने वाली पेयजल योजना के कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक कराने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हेतु नामित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही एजेन्सी मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड द्वारा जनपद में कराये जा रहे कार्यों पर विचार विमर्श किया गया । जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि, जनपद में निर्माणाधीन समस्त पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों को गुणवत्तापूर्वक कराने हेतु प्रतिदिन स्थलीय निरीक्षण संस्था के सदस्यों द्वारा किया जाये एवं उक्त निरीक्षण आख्या का अनुपालन कार्यदायी फर्मों से कराते हुए योजना के प्रत्येक कार्यों में तदानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। साथ ही निर्देश दिये गए कि कार्यस्थल पर पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या एवं फोटोग्राफ के साथ प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करें।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड।

सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यकम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यों के लिए नामित समस्त 07 इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सियों के वर्तमान तक किये गये कार्यों एवं शेष की जाने वाली कार्यवाही से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सियों के प्रथम फेज के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सियों को निर्धारित क्लस्टर के अनुसार प्रथम फेज में की गयी गतिविधियों के भुगतान की कार्यवाही सक्षम स्तर से की जा चुकी है। सदस्य सचिव द्वारा जनपद के अवशेष ग्राम पंचायतों के क्लस्टर आवंटन हेतु क्लस्टर तैयार करते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय से क्लस्टर की जांच कराते हुए क्लस्टर आवंटन की कार्यवाही समयान्तर्गत्त पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही निर्देश दिये गए कि समस्त इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सियों को निर्धारित क्लस्टर के अनुसार द्वितीय फेज (इम्पलीमेन्टेशन फेज) में की गयी गतिविधियों का प्रेजेन्टेशन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करायें तथा द्वितीय फेज में की गयी गतिविधियों के भुगतान की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्त इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी।

बैठक के अन्त में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा– आई0एस0ए0, टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद की सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग को अवशेष ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन शासन द्वारा निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथा शीघ्र तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे अवशेष ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन विरचन उपरान्त निर्माण की कार्यवाही भी समय से सुनिश्चित की जा

CS CamScanner

सके। उक्त के सम्बन्ध में दोनों फर्मो के प्रतिनिधियों द्वारा अवशेष राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम/मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

15/03/22

(संजीत कुमार कटियार)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड–प्रथम
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

प्रभागीय वन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला विकास अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : 472 / मो0-1 / 192 दिनांक– 15.03.2023

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे0वी0 इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बलरामपुर।

15/03/22
अधिशासी अभियन्ता

CS CamScanner